भाग I- ऐसी मदें जिनपर अनुमोदन एवं संस्तुति आवश्यक है

एसी:07:01	**अध्यक्ष द्वारा सदन से कार्यवाही शुरू करने का आह्वान**

कार्यवृत्त:

07.01.1 अध्यक्ष ने सदन से कार्यवाही शुरू करने का आह्वान किया।

एसी:07:01	**मृत्यु सूचना**

[कार्यबिंदु:

07.02.1 निम्नलिखित महान विभूतियों के मृत्यु समाचार को सदन के समक्ष गहरी संवेदना के साथ रखा गया।

1. श्री स्टीफन नामचू, सिक्किम के अग्रणी संगीतकार जिसने राष्ट्रीय संगीत बैंड परिक्रमा में काम किया
2. श्री पीजी तेनजिंग, पूर्व आईएएस और प्रसिद्घ लेखक।
3. प्रोफेसर अर्जुन सेनगुप्ता, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राज्य सभा सदस्य
4. श्री संतोष गुरुंग, ख्यातिप्राप्त राजनीतिक नेता, दार्जिलिंग
5. श्री पदम सुब्बा, प्रसिद्ध साहित्यज्ञ एवं APATAN के संस्थापकों में से एक
6. श्रीमती रोजाबेल नामचू, पूर्व निदेशक, सिक्किम शासन]

कार्यवृत्त:

07.02.1 सदन ने इन दिवंगत आत्माओं के मृत्यु संदेश पर गहरी संवेदना प्रकट की और उनके सम्मान में दो मिनट का मौन धारण किया।

एसी:07:01	**कुलपति द्वारा परफॉर्मेंस पर प्रकाश**

कार्यवृत्त:

07.03.1 शैक्षणिक परिषद की पिछली बैठक दिनांक- 2.6.2010 के बाद से विश्वविद्यालय के परफार्मेंस पर कुलपति द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई। **(अनुलग्नक एसी VII-01)]**

07.03.2 इस पर प्रो. मानवेंद्र किशोर दास ने पाया कि शिक्षा अध्ययन केंद्र जिसमें दूरस्थ शिक्षा भी शामिल है, के साथ शिक्षण गुणवत्ता प्रबंधन को एक प्रमुख के रूप में पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को बारहवीं योजना अवधि के दौरान शिक्षा को एक पूर्ण केंद्र की तरह खोलने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह इसमें विश्वविद्यालय को किसी भी तरह की सहायता करने को तैयार हैं।

7.03.3 प्रो वी एस प्रसाद ने विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र में किए गए प्रगति पर कुलपति को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रगति की इस गति को बनाए रखा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि संबद्ध संस्थान को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर में रहना चाहिए। इसके अलावा, विश्वविद्यालय को परीक्षा में सुधार के साथ-साथ परीक्षकों के लिए अभिविन्यास सहित प्रश्नपत्रों के निर्माण में भी सुधार लाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कि विश्वविद्यालय को अकादमिक स्टाफ कॉलेज खोलने के भी प्रयास करना चाहिए। चीनी भाषा और चीन अध्ययन कार्यक्रम की सराहना करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत सरकार के सहयोग से "कन्फ्यूशियस अध्ययन केन्द्र" स्थापित करने पर भी विचार करे। उन्होंने गुणवत्ता आश्वासन आयाम पर अधिक ध्यान देने के लिए गुणवत्ता तंत्र की स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि शैक्षणिक परिषद यांगंग में शीघ्र जमीन अधिग्रहण को संकल्प करने को इच्छुक है।

7.03.4 प्रोफेसर अतुल शर्मा ने कहा कि वह सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत से काफी प्रभावित हैं। यहां तक कि कॉलेजों में इसकी शुरुआत कर दी गई जो एक बहुत ही मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को छात्रों के पंजीयन पर एक स्पष्ट नीति तैयार करनी चाहिए। यह भी कहा गया था कि विश्वविद्यालय एक विभाग के रूप में संसाधन प्रबंधन की शुरूआत पर विचार कर सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय एशियाई भाषा विभाग के तहत चीनी के अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई की अन्य भाषाओं की पढ़ाई की भी शुरुआत करने पर विचार करे।

7.03.5 प्रोफेसर एएफ पाटिल ने कहा कि विश्वविद्यालय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय में शिक्षकों के प्रदर्शन आकलन के लिए पुरस्कार/प्रशंसा योजना को प्रारंभ करने पर विचार कर सकता है। उन्होंने कहा कि गुणता आश्वासन पर एक कमिटी गठित की जानी चाहिए और पाठ्यक्रमों को नवोन्मेषी बनाना चाहिए ताकि अखिल भारतीय स्तर पर छात्रों को आकर्षित किया जा सके।

उनका सुझाव था कि एकीकृत पाठ्यक्रम के तहत उच्च स्तरीय नैनो-साइंस पाठ्यक्रम की भी शुरुआत करनी चाहिए।

7.03.6 प्रोफेसर वाई डी प्रसाद ने कहा कि विश्वविद्यालय को कार्यकारी एवं शैक्षणिक परिषद के सदस्यों के प्रकाशनों को अपने पुस्तकालय के लिए अधिग्रहण करने पर विचार करना चाहिए।

7.03.7 डॉ. जीएस यॉनजान ने पूछा कि यांगंग में जमीन अधिग्रहण में क्या शैक्षणिक परिषद की भी कोई भूमिका हो सकती है ताकि इस कार्य में तेजी लाया जा सके?

7.03.8 श्री संजय हज़ारिका ने जोर दिया कि शैक्षणिक परिषद भी एक प्रस्ताव पास करे कि यांगंग में भूमि का शीघ्र अधिग्रहण हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय इस पर विचार कर सकता है कि पर्यावरण प्रबंधन जैसे 'प्लास्टिक मुक्त सिक्किम' पर सिक्किम में स्वतंत्र समूहों जैसे गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निभाई गई भूमिका को मान्यता देते हुए इसे पर्यावरण पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। शांति, संघर्ष और प्रबंध अध्ययन विभाग का नाम बदलने पर उन्होंने सुझाव दिया कि इसका नाम 'शांति और संघर्ष प्रबंधन अध्ययन विभाग' होना चाहिए। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को शांति प्रक्रिया में महिला की भूमिका पर विचार करना चाहिए। विश्वविद्यालय इस पर एक वार्षिक व्याख्यान/राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित कर सकता है जिसमें एक प्रमुख महिला वक्ता हो।

7.03.9 प्रो अंजन मुखर्जी ने कहा कि विश्वविद्यालय बीबीए-एमबीए पाठ्यक्रम प्रारंभ करते समय पाठ्यक्रम के भाग के रूप में सांख्यिकी की भी शुरुआत करने पर विचार करे।

7.03.10 प्रो मानवेंद्र किशोर दास यह भी कहा कि विश्वविद्यालय बौद्ध/चीनी/कन्फ्यूशियस अध्ययन के लिए केंद्र/दों की स्थापना करने पर विचार कर सकता है।

7.03.11 विभिन्न बिंदुओं पर सदस्यों की टिप्पणियों को सुनने के उपरांत अध्यक्ष ने कहा कि;

सिक्किम विश्वविद्यालय अपने कामकाज में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है जो कठिन कार्य और समर्पण से ही दूर हो सकता है। यह विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का दायित्व है वह अपने को प्रत्येक क्षेत्र में एक मानक स्थापित करे। सिक्किम विश्वविद्यालय देश के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में से एक होना चाहता है। विश्वविद्यालय लगातार अपने मानकों को स्थापित करने और हर क्षेत्र में गुणात्मक सुधार को तत्पर है। अध्यक्ष ने इस पर पूरी सहमति व्यक्त की कि शैक्षणिक परिषद के भूमि अधिग्रहण मामले में संकल्प पारित करना मामले को राज्य सरकर तक ले जाने में मदद करेगा। कन्फ्यूशियस अध्ययन केंद्र की स्थापना के संबंध में अध्यक्ष ने कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है अत: इस पर भारत सरकार का मत लेना आवश्यक है। हालांकि, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय यह प्रस्तावित करता है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ छात्र विनिमय कार्यक्रम हो। अध्यक्ष ने एकीकृत पाठ्यक्रमों पर अपने सुझाव देने के लिए प्रो. पाटिल से अनुरोध किया, जिस पर विश्वविद्यालय विचार करेगा। सांख्यिकी अध्ययन की शुरुआत के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे बारहवें प्लान में शिक्षा विभाग के साथ 2012-13 से शुरू करने पर विचार किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि गुणवत्ता प्रबंधन पर कमिटी गठित करने के विचार पर समय आने पर इस पर विचार किया जा सकता है।

7.03.12 उपर्युक्त अवलोकनों के साथ सदन ने कुलपति द्वारा परफार्मेंस पर डाले गए प्रकाश पर विचार किया।

एसी:07:04	**दिनांक- 02.06.2010 को शैक्षणिक परिषद की आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण**

कार्यवृत्त:

07.04.1 सदन ने पिछली बैठक दिनांक- 2.6.2010 के कार्यवृत्त पर विचार किया और उसका पुष्टिकरण कर दिया।

एसी:07:05	**दिनांक- 02.06.2010 को शैक्षणिक परिषद की आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट**

कार्यवृत्त:

07.05.1 सदन ने पिछली बैठक दिनांक- 2.6.2010 के कार्यवृत्त की कृत कार्रवाई रिपोर्ट पर विचार किया और उसका पुष्टिकरण कर दिया।

एसी:07:06	**यूजीसी (न्यूनतम मानक और एम.फिल / पीएचडी डिग्री प्रदान करने की प्रक्रिया) विनियम 2009 को अपनाया जाना**

कार्यवृत्त:

सदन ने कार्यबिंदु पर विस्तृत विचार किया। सदस्य प्रो पाटिल ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय विशेष रूप से यूजीसी के न्यूनतम मानक व एम.फिल / पीएचडी डिग्री प्रदान करने की प्रक्रिया विनियम 2009 के कुछ प्रावधानों जैसे पाठ्यक्रम कार्य, मूल्यांकन एवं विनिर्धारण प्रक्रिया इत्यादि का कार्यान्वयन सावधानीपूर्वक करे। अध्यक्ष ने उत्तर में कहा कि यह विश्वविद्यालय वही प्रक्रिया अपना रहा है जो जेएनयू, नई दिल्ली अपना रही है।

उपर्युक्त अवलोकनों के साथ विश्वविद्यालय ने यूजीसी (न्यूनतम मानक और एम.फिल / पीएचडी डिग्री प्रदान करने की प्रक्रिया) विनियम, 2009 को अपनाया।

एसी:07:07	**विधिक शिक्षा पर अध्यादेश**

कार्यवृत्त:

7.07.1 शैक्षणिक परिषद ने अध्यादेश के प्रारूप पर विचार किया और संस्तुति की कि पूर्ण अध्यादेश हेतु कुलपति को सशक्त किया तथा आशा व्यक्त की कि शैक्षणिक वर्ष 2010-11 में इन प्रावधानों का क्रियान्वयन हो जाएगा।

एसी:07:08	**कॉलेजों की संबद्धता पर अध्यादेश**

कार्यवृत्त:

7.08.1 सदन ने अपने समक्ष प्रस्तुत निम्नलिखित अध्यादेशों के प्रारूपों पर विचार किया अर्थात्

1. विज्ञान कॉलेजों की संबद्धता के लिए अध्यादेश
2. आर्ट्स कॉलेजों की संबद्धता के लिए अध्यादेश
3. अध्यापक शिक्षा कॉलेजों की संबद्धता के लिए अध्यादेश
4. फार्मेसी कॉलेजों की संबद्धता के लिए अध्यादेश
5. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेजों की संबद्धता के लिए अध्यादेश
6. विधि कॉलेजों की संबद्धता के लिए अध्यादेश
7. नियम और प्रक्रिया पर अध्यादेश

और सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की संविधि 40(टी) के साथ पठित प्राथमिक संविधि 14 के अनुसार उक्त को कार्यकारी परिषद के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सिफारिश किया।

एसी:07:09	**परीक्षा अध्यादेश में संशोधन**

कार्यवृत्त:

7.09.1 सदन ने कार्यबिंदु पर विस्तृत रूप से विचार किया और उस पर चर्चा की। जहां तक खंड (क्लॉज) 05.11 की बात है- विश्वविद्यालय को चाहिए कि जिनके अंक 60 या उससे कम हैं उन सभी उत्तर पुस्तिकाओं का दूसरे परीक्षकों से जांच कराने के बजाय केवल 30 प्रतिशत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दूसरे परीक्षक से कराया जाना चाहिए।

इसी तरह जैसा कि खंड 05.09 में प्रश्नपत्र सेटर, मॉडरेटर और मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति के संबंध में वर्णन है, इस संबंध में सदन का यह विचार है कि यह कार्य कुलपति या उनके नुमाइंदे जोकि डीन के स्तर से नीचे न हो, के द्वारा संपन्न किया जाए। सदन ने यह भी सुझाव दिया कि एक भूल-चूक कमिटी भी बनाई जानी चाहिए जो कि प्रश्नपत्रों के सेटिंग में होने वाली गलतियों को देखे।

7.09.2 इसी वक्त सदन ने यह भी विचार किया कि उक्त संशोधन को कार्यकारी परिषद ने अपनी पिछली बैठक दिनांक- 3.11.2010 में अनुमोदन प्रदान कर दिया था।

7.09.3 अतः सदन ने यह संकल्प पारित किया कि यह संशोधन केवल वर्तमान सेमेस्टर तक ही मान्य होगा और अगले सेमेस्टर के लिए सदन के समक्ष संशोधित मसौदा संशोधन रखा जाए।

एसी:07:10	**शैक्षणिक वर्ष 2011-12 के लिए नए पाठ्यक्रम**

<u>कार्यवृत्त:</u>

7.10.1 2011-12 के पाठ्यक्रम पर अनुमोदन से पूर्व सदन ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय भौतिक विज्ञान में एमएससी कोर्स को "भौतिकी में एमएससी" के रूप में पुनः नामकरण पर विचार करे। हाउस ने यह भी सुझाव दिया कि जिओलॉजी में बीए-एमए के नए पाठ्यक्रम को बीएससी-एमएससी के रूप में नामांतरण किया जाना चाहिए इसी तरह भूविज्ञान के बजाय पृथ्वी विज्ञान किया जाए।

एसी:07:11	**मानद उपाधि का प्रदान किया जाना**

<u>कार्यवृत्त:</u>

7.11.1 सदन ने प्राथमिक संविधि 27 में संशोधन पर विचार किया और उसे विचारोपरांत निम्नानुसार संशोधित प्रस्तावित किया:

वर्तमान प्रावधान	संशोधन बाद प्रावधान
<u>संविधि 27</u> (1) कार्यकारी परिषद शैक्षणिक परिषद की सिफारिश एवं अपने कम से कम दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति एवं उनके मत से पारित संकल्प पर विजिटर को मानद डिग्री प्रदान करने का प्रस्ताव भेज सकती है।	**<u>संविधि 27</u>** (1) कार्यकारी परिषद शैक्षणिक परिषद की सिफारिश एवं अपने कम से कम दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति एवं उनके मत से पारित संकल्प पर विजिटर को मानद डिग्री प्रदान करने का प्रस्ताव भेज सकती है, बशर्ते कि --

	यह मानद उपाधि विज्ञान/मानविकी/लोकनीति के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति को एवं/और राज्य/देश के प्रमुख को दी जा रही हो, जैसा भी मामला हो।
बशर्ते कि आपातकाल में कार्यकारी परिषद अपने स्वयं के प्रस्ताव पर ऐसे प्रस्ताव भेज सकती है।	बशर्ते कि आपातकाल में कार्यकारी परिषद अपने स्वयं के प्रस्ताव पर ऐसे प्रस्ताव भेज सकती है।
(2) कार्यकारी परिषद अपने कम से कम दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति एवं उनके मत से पारित संकल्प द्वारा किसी को प्रदान की गई मानद उपाधि को विजिटर की पूर्व मंजूरी से वापस ले सकती है।	(2) कार्यकारी परिषद अपने कम से कम दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति एवं उनके मत से पारित संकल्प द्वारा किसी को प्रदान की गई मानद उपाधि को विजिटर की पूर्व मंजूरी से वापस ले सकती है।

7.11.2 इसके बाद सदन ने डॉ. मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री, भारत सरकार को मानद उपाधि प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया और उसे कार्यकारी परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने की सिफारिश की।

भाग ।।- ऐसी मदें जो मार्गदर्शन एवं सूचनार्थ प्रतिवेदित हैं

एसी:07:12	**विश्वविद्यालय गान (कुलगीत) का अधिग्रहण**

कार्यवृत्त:

07.12.1 सदन ने कार्यबिंदु पर विचार किया और विश्वविद्यालय गान (कुलगीत) का श्रवण किया। गीत संस्थापक कुलपति महेंद्र पी लामा द्वारा लिखा गया और धुन छात्र श्री लेपचा ने तैयार किया। सदस्य प्रो. मानवेंद्र किशोर दास ने सुझाया कि हितधारकों एवं जनता में व्यापक विस्तार हेतु इसके हिंदी रूपांतरण को भी प्रकाशित किया जाए, जिस पर अध्यक्ष ने सहमति जताई।

07.12.2 सदन ने इसकी भावपूर्ण विषय वस्तु एवं धुन रचना की सराहना करते हुए इसे नोट किया।

एसी:07:13	**दूसरी शैक्षणिक परिषद का गठन**

कार्यवृत्त:

07.13.1 सदन ने दूसरी शैक्षणिक परिषद के गठन पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक-7.10.2010 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए संशोधन को संज्ञान में लिया।

07.13.2 सदन ने यह सलाह दी कि विश्वविद्यालय राज्य सरकार के महाविद्यालय शिक्षा के निदेशक (सिक्किम में प्रचलित अन्य ऐसे पद) को कुलपति का नामिती मानने पर विचार करे। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि उचित समय पर इस पर विचार किया जाएगा।

एसी:07:14	**नए कोर्स के लिए एवं चालू कोर्स की समीक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन**

कार्यवृत्त:

07.14.1 सदन ने कार्यबिंदु पर विचार किया और विश्वविद्यालय को यह सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम के बनाने में अकादमिक एवं विशेषज्ञों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के नामी पेशेवरों की भी सहायता ली जाए यदि ऐसी जरूरत महसूस हो, जिससे कि पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक पक्ष का भी समावेश हो सके।

सदन ने विश्वविद्याल की इस बात के लिए सराहना की इसने पाठ्यक्रम विकास समिति में काफी नवोन्मेषी तरीकों को अपनाया है।

07.14.1 सदन के सदस्यों ने अध्यक्ष से यह प्रतिज्ञा की कि वे भी पाठ्यक्रम निर्माण में अपनी बहुमूल्य सेवा देंगे।

एसी:07:15	**एशिया सम्मेलन की मेजबानी**

<u>कार्यवृत्त:</u>

07.15.1 सदन ने दिसंबर 2010 में एशिया सम्मेलन की मेजबानी के लिए विश्वविद्यालय ने खूब प्रशंसा की। प्रो. वाई डी प्रसाद ने कहा ने सम्मेलन में अपनी सहभागिता और पेपर पढ़ने पर सहमति जताई। अध्यक्ष ने सदस्यों के उत्साह पर खुशी जताई और कहा कि आप सभी की भागीदारी काफी फायदेमंद होगी।

एसी:07:16	**प्रवेश 2011-12 के लिए कार्य योजना**

<u>कार्यवृत्त:</u>

07.16.1 सदन ने अपने समक्ष अलग से रखी कार्यबिंदुओं पर चर्चा की। प्रो. अतुल शर्मा ने विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए अंतर विषयी पाठ्यक्रमों के प्रश्नपत्रों के प्रत्येक खंड में छात्रों के उत्तर देने में सरलता के स्तर के बारे में पूछा। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर-पूर्व के आठों राज्यों में प्रवेश परीक्षा हेतु कुछ और केंद्रों यथा- अगरतला, ईटानगर आदि के शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए।

07.16.2 अध्यक्ष ने सदस्यों से वर्ष 2011-12 हेतु प्रवेश परीक्षा के पैटर्न एवं प्रोस्पेक्टस की विषय वस्तु पर सुझाव देने को कहा।

07.16.3 सदस्यों इस बात पर सहमति जताई कि जब भी संभव होगा वे अपना योगदान देंगे।

07.16.4 उपर्युक्त के साथ सदन ने अपने समक्ष रखे कार्यबिंदु को संज्ञान में लिया।

एसी:07:17	**स्कूलों की स्थापना पर संशोधित संविधि में स्कूलों का पुनर्नामांतरण**

कार्यवृत्त:

07.17.1 सदन ने अपने समक्ष प्रस्तुत कार्यबिंदु पर विचार किया। इस बात को दोहराया गया कि शांति, संघर्ष और प्रबंध अध्ययन विभाग का नाम बदलकर शांति एवं संघर्ष प्रबंधन विभाग किया जाएगा, जिस पर अध्यक्ष ने कहा कि सदन के सुझाव पर विचार किया जाएगा।

एसी:07:18	**यांगांग में भूमि अधिग्रहण एवं भू-स्थानांतरण में देरी**

कार्यवृत्त:

07.18.1 सदन ने सर्वसम्मति से संकल्पित किया कि सिक्किम सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण एवं भू-स्थानांतरण में देरी से विश्वविद्यालयों को काफी दक्कित आ रही है, साथ ही समय और लागत भी बढ़ रहे हैं। सदन ने कार्यकारी परिषद की पिछली बैठक दिनांक- 3.11.2010 में किए गए निर्णय का समर्थन किया और कहा कि विश्वविद्यालय को इस मुद्दे में दखल एवं शीघ्रता हेतु देश के प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के समक्ष उठाना चाहिए।

एसी:7:19	**अन्य कोई मद अध्यक्ष जी की अनुमति से**

अन्य कोई मद न होने की वजह से अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त कर दी गई।

हस्ताक्षर/-

(पीवी रवि)
वित्त अधिकारी
कार्यवाहक सचिव, शैक्षणिक परिषद